न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री विकास पंचोली (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

दायर तारीख 04.06.2021

वादपत्र संख्या 30/2021 (2021/161)

वादपत्र अन्तर्गत धारा –177 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. श्रीमती इन्दिरा पुत्री नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
2. श्रीमती गट्टु पुत्री प्रताप गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
3. श्रीमती गेन्दीबाई पत्नि लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
4. श्री प्यारचन्द पिता प्रताप गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
5. श्रीमती प्रेमी पुत्री लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
6. श्री भगवान लाल पिता नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
7. श्री मोहनलाल पिता लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
8. श्रीमती शैना पुत्री लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
9. श्रीमती श्यामु पुत्री नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
10. श्रीमती सुन्दर पुत्री नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
11. श्रीमती सीमा पुत्री नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
12. श्री सोहनलाल पिता लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. श्री संतोष कुमार पारीक – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 26.07.2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 425/2 रकबा 0.52 हे0 किस्म नहरी तृतीय भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज है नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उक्त वर्णित खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजनार्थ की होकर मौके पर उक्त आराजी नं0 425/2 रकबा 0.52 हे0 को अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण के मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदार अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर अवैघ रूप से खनन कार्य किया गया हैं। मौका पर्चा प्रस्तुत है। यह कि प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर उक्त ग्राम लाखोला प0 ह0 लाखोला के आराजी नं0 425/2 रकबा 0.52 हे0 भूमि में दो खड्डे 8 गुणा 6 गुणा 7 घनमीटर तथा 10 गुणा 8 गुणा 6 घनमीटर का किया जाकर अवैध खनन किया जाना मौके पर पाया गया, उक्त अवैध खनन को प्रतिवादीगण द्वारा किया जाना पाया गया। यह कि प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति कृषि प्रयोजन की भूमि पर अवैध खनन किया जाकर खातेदारी अधिकारों की शर्तो का उल्लंघन किया है।

यह कि अवैध खनन की सूचना पर वक्त जांच मौके पर एल0एन0टी0 , ट्रेक्टर व क्रेन भी पाये गये जिसका पर्चा मौका पृथक् से तैयार किया गया जो संलग्न है, उक्त अवैध खनन पर खनिज विभाग द्वारा मौके पर पाये गये संसाधनों को जब्त किये जाकर पृथक से कार्यवाही भी की गई है। अतः प्रतिवादीगण की खातेदारी अधिकार की ग्राम लाखोला प0ह0 लाखोला की आराजी संख्या 425/2 रकबा 0.52 हे0 भूमि को खातेदारी हक से कम करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दिनांक 04.06.2021 हो पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता संतोष पारीक ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। तथा प्रार्थना पत्र में विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब पेश कर वाद पत्र की कलम संख्या 01 स्वीकार की है। कलम संख्या 02 को गलत बताकर अस्वीकार बताकर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ ही काम लिया जा रहा है। कलम संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार की है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजियात पर कृषि कार्य ही किया जा रहा है अवैध खनन नहीं किया जा रहा हैं। कलम संख्या 4 गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर सिंचाई का साधन नहीं होने से फार्म पोण्ड का निर्माण किया जा रहा था जो भी बन्द कर दिया गया है। मौके पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। कलम संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार की है । प्रवितादीगण अपने पूर्वजो के समय से उपरोक्त भूमि पर अपनी सुविधानुसार कृषि कार्य कर उपयोग उपभोग कर रहे है। कलम संख्या 6 गलत होने से स्वीकार नहीं है। फार्म पोण्ड बनते समय झूठी शिकायत पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने पर प्रतिवादीगण द्वारा नियमानुसार शास्ति जमा करा दी गई हैं।

कोई भी संसाधन जब्त नहीं है। कलम संख्या 7, 8, 9 कानुनी होकर जवाब की आवश्यकता नहीं है। एवं निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं होने से उपरोक्त भूमि में फार्म पोण्ड का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको भी प्रतिवादीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है। मौके पर पूर्व में कोई खनन कार्य नहीं किया गया था न वर्तमान में कोई खनन कार्य किया जा रहा है। अतः प्रकरण खारिज किया जाना फरमावें।

प्रकरण में तनकी कायम की गईः–

1. ग्राम लाखोला प0 ह0 लाखोला के आराजी नं0 425/2 रकबा 0.52 हे0 भूमि में दो खड्डे 8 गुणा 6 गुणा 7 घनमीटर तथा 10 गुणा 8 गुणा 6 घनमीटर का किया जाकर अवैध खनन किया जाना मौके पर पाया गया, उक्त अवैध खनन को प्रतिवादीगण द्वारा किया जाना पाया गया।

   जिम्मेवादी

2. प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर सिंचाई का साधन नहीं होने से फार्म पोण्ड का निर्माण किया जा रहा था जो भी बन्द कर दिया गया है। मौके पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

   जिम्मेप्रतिवादी

प्रकरण में वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट तहसीलदार सहाड़ा से तलब की गई तहसीलदार सहाड़ा के पत्रांक राजस्व/2021/473 दिनांक 02.07.2021 से अवगत कराया कि वक्त मौका निरीक्षण ग्राम लाखोला के आराजी नं0 425/2 रकबा 0.25 हे0 भूमि में मौके पर जंहा पर पूर्व में खड्डा था जो वर्तमान में बंद होकर खड्डे में मिट्टी डालकर भर दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई खड्डा नहीं पाया गया था, मौके पर मानसूनी खरपतवार उगी है।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने साक्ष्यप्रतिवादी हेतु शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी ने दौराने बहस वाद पत्र को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पूर्व में भी फार्म पोण्ड बनते समय झूठी शिकायत पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने पर प्रतिवादीगण द्वारा नियमानुसार शास्ति जमा करा दी गई हैं। ओर इस तरह इसी प्रकरण पर दो बार दण्डित करना न्यायहित में नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रकरण खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण को राहत प्रदान करावें।

मैंने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एंव वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव मौका रिपोर्ट का परीक्षण किया गया व पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। तनकीवार निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर – 1

1. ग्राम लाखोला प0 ह0 लाखोला के आराजी नं0 425/2 रकबा 0.52 हे0 भूमि में दो खड्डे 8 गुणा 6 गुणा 7 घनमीटर तथा 10 गुणा 8 गुणा 6 घनमीटर का किया जाकर अवैध खनन किया जाना मौके पर पाया गया, उक्त अवैध खनन को प्रतिवादीगण द्वारा किया जाना पाया गया।

जिम्मेवादी

तनकी नम्बर – 1 को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2021 / 473 दिनांक 02.07.2021 से साबित कराने में असफल रहा जिससे उक्त तनकी नं. 1 बहक प्रतिवादीगणा विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर –2

2. प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर सिंचाई का साधन नहीं होने से फार्म पोण्ड का निर्माण किया जा रहा था जो भी बन्द कर दिया गया है। मौके पर कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

जिम्मेप्रतिवादी

तनकी नम्बर –2 को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने इस हेतु जवाब एवं वर्तमान मौके की स्थिति हेतु मौका रिपोर्ट का अवलोकन कराया। तथा पूर्व में भी फार्म पोण्ड बनते समय झूठी शिकायत पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने पर प्रतिवादीगण द्वारा नियमानुसार शास्ति जमा करा दी गई हैं। अतः तनकी नं. 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

चूंकि वादपत्र की उक्त दोनों तनकिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतएवं

:: आदेश::

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 30 / 2021 (2021 / 161) दायर तारीख 04.06.2021

वादपत्र अन्तर्गत धारा –177 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....वादी

बनाम्

1. श्रीमती इन्दिरा पुत्री नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
2. श्रीमती गट्टु पुत्री प्रताप गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
3. श्रीमती गेन्दीबाई पत्नि लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
4. श्री प्यारचन्द पिता प्रताप गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
5. श्रीमती प्रेमी पुत्री लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
6. श्री भगवान लाल पिता नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
7. श्री मोहनलाल पिता लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
8. श्रीमती शैना पुत्री लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
9. श्रीमती श्यामु पुत्री नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
10. श्रीमती सुन्दर पुत्री नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
11. श्रीमती सीमा पुत्री नंगजी गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।
12. श्री सोहनलाल पिता लेहरू गाडरी निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।

2. श्री संतोष कुमार पारीक – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादी की ओर से पेराकार सरकार तहसीलदार, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री संतोष पारीक की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×–––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×–––––– द्वारा ––––×–––––– को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)